न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0–172/2018

रमेश प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

लालजी प्रसाद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
12.08.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख हस्तक्षेपक की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 29.01.2021 को दिये गये आवेदन के आदेश हेतु नियत है। हस्तक्षेपक की ओर से दिनांक 29.01.2021 को आदेश 1 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** आवेदकगणों की ओर से दिनांक 29.01.2021 को आदेश 1 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया कि आवेदकगणों का कहना है कि कुछ दिन पहले आवेदको को पता चला कि उनके पति तथा आवेदक न0–01 के पुत्र तथा आवेदक न0–02 व 03 के पिता व भाई संयुक्त हिन्दु परिवार की संपति के विभाजन हेतु बिना आवेदकगणों को पक्षकार बनाये न्यायालय में वाद दाखिल किये है। जबकि आवेदकगण इस वाद के आवश्यक पक्षकार है। आवेदकगणों के बिना इस वाद में निर्णय पारित नही किया जा सकता है। सत्यनारायण प्रसाद अपनी मृत्यु के पश्चात अपने चार पुत्रों लालजी प्रसाद, ललन प्रसाद, योगेन्द्र प्रसाद तथा प्रेमचन्द्र प्रसाद को छोडकर मरे। इस वाद में लालजी प्रसाद प्रतिवादी सं0–01 है तथा लालजी प्रसाद के तीन पुत्र उमेश प्रसाद, कमलेश प्रसाद तथा रमेश प्रसाद इस वाद में पक्षकार है। रमेश प्रसाद इस वाद में वादी सं0–01 है तथा वादी सं0–02 रमेश प्रसाद के पुत्र है। संयुक्त हिन्दु परिवार की वादग्रस्त संपत्ति में वादीगणों तथा आवेदकगणों का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है। वादीगणों से आवेदकगणों का संबंध अच्छा नही है तथा आपस में मतभेद है। अतः आवेदकगणों को पक्षकार बनाने की कृपा करें। वादीगणों की ओर से आवेदको के आवेदन पर कोई आपत्ति नही है। अतः उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन पर नो आब्जेक्शन लिखा गया। जबकि प्रतिवादीगणों की ओर से आवेदकों के आवेदन पर मौखिक रूप से विरोध किया गया तथा उसे खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। उक्त वाद बंटवारा वाद है। जो संयुक्त हिन्दु परिवार की संपत्ति का विभाजन हेतु दाखिल किया गया है। आवेदकगण रंजिता देवी वादी सं0–01 की पत्नी है तथा रश्मि वर्णवाल तथा रिया कुमारी दोनो वादी सं0–01 की पुत्री है। वादी सं0–02 राहुल कुमार वादी सं0–01 के पुत्र है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद का निस्तारण सभी पक्षों को सुनकर तथा सभी साक्ष्यों के अवलोकनोपरांत किया जाना चाहिए। अगर कोई पक्षकार छूट	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>बंटवारा वाद सं0–172/2018</u>

लगातार **12.08.2022**	जाता है तो इससे वाद की बहुलता बढ़ने की संभावना रहती है। चुँकि वादी सं0–01 के हिस्से में से आवेदक सं0–01 रंजिता देवी को हिस्सा मिलना है तथा वादी सं0–01 इस वाद में पक्षकार है। अतः आवेदक रंजिता देवी इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतीत नही होती है। जबकि आवेदक सं0–02 रश्मि वर्णवाल तथा रिया कुमारी दोनों वादी सं0–01 की पुत्री है तथा वे दोनों इस वाद की आवश्यक पक्षकार है। अतः यह आवेदन अंशतः स्वीकार किया जाता है तथा आवेदक सं0–02 तथा 03 को मो0–500/– रूपये हर्जे पर पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है। वाद दिनांक 21.10.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	